रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1985/फाल्गुन 1, 1906
No. 70] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1985/PHALGUNA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 34/85-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1985

सा. का. नि. 97 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) नियम, 1957 में, नियम 4क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4ख. सेवा निवृत्ति, आदि के पश्चात् मोटर यान रखे रहने के लिए अनुज्ञा :—

(1) जहां कोई विशेषाधिकार व्यक्ति सेवा से निवृत्त होने या भारत में अपना पद छोड़ने पर, भारत में ठहरने का विनिश्चय करता है और अपने वास्तविक उपयोग के लिए उस मोटर यान को रखे रहता है जिसकी बाबत सीमाशुल्क से छूट उसके आयात या बंधपत्र पर क्रय करने के समय दी गई थी, वहां केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, संबंधित व्यक्ति को सीमाशुल्क का संदाय किए बिना इस शर्त के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि उक्त मोटर यान का उस तारीख को जिसको उक्त व्यक्ति विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्ति नहीं रह जाता है या भारत में अपना

पद छोड़ देता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत तारीख कहा गया है) भारत में उपयोग तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए किया गया है।

(2) जहां मोटर यान को सुसंगत तारीख को भारत में उपयोग तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है वहां या यदि उक्त व्यक्ति मोटर यान को किसी पश्चात्वर्ती तारीख को विक्रय या उसका अन्यथा निपटान करता है तो, सीमाशुल्क संदेय हो जाएगा।

(3) जहां उक्त व्यक्ति, मोटर यान को विक्रय या उसका अन्यथा निपटान करने का प्रस्ताव करता है, वहां वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अनुज्ञा से उक्त प्रयोजन के लिए उसे राज्य व्यापार निगम को प्रस्थापित करेगा।

(4) नियम 5 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन संदेय सीमाशुल्क को लागू होंगे"।

[फा. सं. 421/50/83-सीमाशुल्क-IV]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 34/85-Customs

New Delhi, the 20th February, 1985

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 157, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following rules further to amend the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957, after rule 4A, the following rule shall be inserted, namely:—

"4B. Permission to retain the motor vehicle after retirement etc.

(1) Where a privileged person on retiring from service or relinquishing his post in India decides to stay in India and retains the motor vehicle, in respect of which exemption from customs duty was given at the time of its importation or purchase from bond, for his bona fide use, the Central Board of Excise and Customs may, on an application made to it in this behalf, allow the person concerned to do so without payment of customs duty subject to the condition that the said motor vehicle has been used in India for a period of three years or more on the date on which the said person ceases to be a privileged person or relinquishes his post in India (hereinafter referred to as the relevant date).

(2) Where the motor vehicle has not been used in India for a period of three years or more on the relevant date or if the said person chooses to sell or otherwise dispose of the motor vehicle at a later date, customs duty shall become payable.

(3) Where the said person proposes to sell or otherwise dispose of the motor vehicle, he shall offer the same to the State Trading Corporation for the said purpose with the permission of the Central Board of Excise and Customs.

(4) The provisions of rule 5 shall apply mutatis mutandis to the customs duty payable under this rule".

[F. No. 421/50/83-Cus. IV]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985